भाग - 5

बजट

26. बजट:-

(1) बोर्ा िेखों के ईवचत अय ि खचा के मख्य एिु ईपं -शीषाकों का वनधाारण करेगा।

(2) बोर्ा के द्वारा वनधााररत प्रपत्र में मवन्दर समबवन्धत कायों का बजट तैयार वकया जािेगा तथा मख्य ु कायापाि‍क ऄवधकारी आसको प्रस्तत करेंगे।ु

(3) प्रत्येक बजट में मख्यतः वनमन का प्राििधान होगाु :-

(क) दैवनक सेिा पजा तथा मवन्दर में मनाये जाने िािे ईत्सू िों का व्यय।

(ख) परमपरागत समप्रदाय समबन्धी ऄन्य व्यय।

(ग) मवन्दर के सस्थापन समबन्धी व्यय।ं

(घ) बोर्ा के ऄध्यि-सदस्यों के समबन्ध में वकये गये व्यय।

(ङ) िावषाक मरममत, वनमााण, जीणोद्धार ि ऄन्य काया समबन्धी व्यय।

(च) कायाािय समबन्धी व्यय।

(छ) मवन्दर समबन्धी ऄन्य सस्थाओं समबन्धी व्यय वजनके बारे मे ऄवधवनयम की धारा ं 28 में वनवदाि ह।ै

(ज) मख्य कायापाि‍क ऄवधकारी िषा प्रारमभ होने से एक महीने पु िा बोर्ा के ऄध्यि को ू बजट प्रस्तत करेगा वजसमें वनमन दशााु ये जािेंगे:-

- अमदनी ि खचा

- ि षा के ऒनमावनत तथा पाररत व्यय जो मवन्दर के बजट से वकये जाि ें गे। ु बजट बोर् ा द्वारा पाररत वकया जाि ेगा।

28. (1) पाररत खचा के वसाय ऒन्य कोइ व्यय मवन्दर के बजट से साधारणतया नहीं वकया जाि ेगा वकन्त ु

मवन्दर के वहत में अिश्यक हो ने पर मख्य कायापाि क ऒवधकारी ु 5000/- रुपये तक व्यय कर सके गा वजसकी कायोत्तर स्ि ीकृ वत बोर् ा से ि ी जाि ेगी।

(2) पाररतशदा बजट के ऒनुरूप कायापाि क ऒवधकारी को व्यय करने का पुणा ऒवधकार होगा। ू

(क) 2000/- रुपये तक की रावश का व्यय मख्य कायापाि क ऒवधकारी द्वारा बा ु जार दरों को ध्यान में रखते हए सीधा वकया जा सके गा। ु

(ख) 2000/- रुपये से ऒवधक वकन्त ु 10000/- रुपये तक की रावश के विये सीवमत वनविदायें अमवत्रत कर व्यय कर सके गा। ं

(ग) 10,000/- रुपये से ऒवधक रावश के व्यय हते वनविदायें अमु वत्रत की जाकर ं वनयमानसार व्यय वकया जा ु सके गा।

29. बजट पाररत होने पर मख्य कायापाि क ऒवधकारी आसकी एक प्रवत राज्य सरकार को प्रस्तु त करेगा। ु वनयमों के प्रवतकू ि वबन्द पर वनणाय विये जाने पर मु ख्य कायापाि क ऒवधकारी ऐसे वबन्दु को राज्य ु सरकार को ऒविि मब सवचत करेगा। ू

30. अािंके िण:-

(1) मवन्दर के ििेखों का राज्य सरकार से वनयि ु अवर्टर द्वारा िािवषाक ऄंके िण वकया जािेिगा।ं

(2) राज्य सरकार ऄंके िक को वनयं ि करते समय ईनको दी जाने िािािी िािीस के समबन्ध में अदेश ु जारी करेगी।

(3) ऄंके िक का पाररश्रवमक मवन्दर पर प्रथम प्रभार होगा तथा ररपोटा प्रस्तं त करने के ु एक माह के भीतर ईसका चकारा वकया जायेगा।ु

(4) ऄंके िक को बोर्ा समस्त िािं वछत ऄवभिेख प्रपत्र अवद प्रस्तं त करािेिगा तथा िािु वछत समबवन्धत ं सचना भी माू गी जाने पर ईपिब्ध करियेगा।ं

(5) मख्य कायापािक ऄवधकारी ु अवर्टर की ररपोटा की प्रवत बोर्ा को प्रस्तत करते हु ए एक ु प्रवत राज्य सरकार को भी प्रस्तत करेगा।ु